संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्य ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/आर.एम.ए.स्था./2020/ 391 नवा रायपुर, दिनांक 14/08/2020

// विज्ञापन//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के छत्तीसगढ़ ग्रामीण चिकित्सा सहायक, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवाओं में भर्ती को विनियमित करने के संबंध में ग्रामीण चिकित्सा सहायक, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013, दिनांक 09 जुलाई 2013 में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार राज्य स्तर पर ग्रामीण चिकित्सा सहायक के रिक्त पदों (बैकलॉग के पद शामिल) पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छ.ग. के स्थानीय निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑन–लाईन आवेदन पत्र **दिनांक 15.08.2020 से दिनांक 30.08.2020 तक कार्यालयीन समय 05:00 बजे तक** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

सीधी भर्ती के रिक्त पदों (बैकलॉग के पद शामिल) का आरक्षणवार विवरण

पदनाम	वेतनमान	कुल रिक्तियाँ वर्गवार					कुल रिक्तियों में महिला आरक्षण वर्गवार				कुल रिक्तियों में दिव्यांग (OL) आरक्षण वर्गवार				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
		अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल संख्या	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
		UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	
ग्रामीण चिकित्सा सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन 4300 (लेवल–9)	07	07	67	08	89	00	00	20	00	00	07	14	6	प्रेक्टिशनर इन मार्डन एंड होलिस्टिक मेडिसिन (पी.एम.एच.एम.) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण **तथा** छ.ग. चिकित्सा मण्डल द्वारा पंजीकृत होना चाहिये।

1. आयु सीमा 01.01.2020 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2. दिव्यांग आरक्षित पदों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25–09–2014 के तहत केवल OL (एक पैर) दिव्यांग ही पात्र होगें।
3. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है किन्तु किसी परिरिथति में विज्ञाप्ति कुल पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा।
4. उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे, भर्ती के संबंध में नियम, शर्ते, अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की विधि/प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

सामान्य नियम एवं शर्ते एवं आवश्यक निर्देश :–

1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के ग्रामीण चिकित्सा सहायक, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013, दिनांक 09 जुलाई 2013 में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, निर्देश, नियम यथासंशोधित लागू होंगे।

2. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये **उपरोक्त उल्लेखित भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ताएं पूर्ण** किया जाना अनिवार्य होगा तथा **छ.ग. चिकित्सा मण्डल द्वारा पंजीकृत** होना चाहिये। मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3. उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे, भर्ती के संबंध में नियम, शर्ते, अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की विधि/प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है।

4. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है किन्तु किसी परिस्थिति में विज्ञापित कुल पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा।

5. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **मूल निवासी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन** के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. आयु सीमा 01.01.2020 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

   6.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।

   6.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छुट दी गई है वे छुट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छुटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

   6.3 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

   6.4 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

Scanned with CamScanner

7. (अ) छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना होगा।
(ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 एवं 27.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदो के लिये उपयुक्त **OL (एक पैर) दिव्यांग ही पात्र** होंगे।

8. अनु.जाति., अनु.जनजाति एवं अ.पि.वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) हेतु शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। जाति हेतु **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन** के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना पूर्णाकों के आधार पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 13–2/2014/आ.प्र./1–3, दिनांक 14.07.2017 निर्देश लागू होगा।

10. भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग एवं महिला को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन** के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ के अंतर्गत ग्रामीण चिकित्सा सहायक के नियमित पद पर कार्यरत कर्मचारी आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

12. किसी अभ्यर्थी को पूर्व में शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. अनुभव के अंक हेतु अभ्यार्थियो को छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों/संस्थाओं में कार्य करने का नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी (नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र आन–लाईन आवेदन के साथ संलग्न (अपलोड) करना अनिवार्य होगा एवं मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनों के मेरिट के आधार पर दस्तावेज परीक्षण हेतु संवर्गवार उपलब्ध रिक्त पदों के अनुपात में आवश्यकतानुसार अभ्यार्थियों को दस्तावेज परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जावेगा, दस्तावेज परीक्षण उपरांत पात्र–अपात्र की सूची जारी कर एवं दावा–आपत्ति के निराकरण पश्चात् आरक्षण अनुसार चयन सुची जारी की जायेगी। जिसकी सूचना विभागीय वेवसाइट के माध्यम से दी जावेगी।

16. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा रिक्त पदों के अनुपात में मेरिट के आधार पर अभ्यार्थियो के मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। तद्उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें।

17. प्रतीक्षा सूची वर्गवार/संवर्गवार तैयार किया जावेगा, प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैद्य रहेगी।

Scanned with CamScanner

18. अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. द्वारा कराया जावेगा प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

19. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020 दिनांक 28.07.2020 के तहत 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त जी जावेगी एवं उक्त आदेश पूर्णरूपेण लागू होगा।

20. **चयन हेतु मापदण्ड :–** शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी –

20.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (प्रेक्टिशनर इन मार्डन एण्ड हॉलिस्टिक मेडिसिन के सभी वर्षो के कुल प्रतिशत के औसत के आधार पर) के प्राप्तांको की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांको के औसत प्रतिशत के आधार पर –**अधिकतम 85 अंक प्रावधानित है।**

20.2 अनुभव के अंक छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों/संस्थाओं में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से **अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है।**

20.3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

21. विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा **(न्यूनतम भौक्षणिक योग्यता का अंक (अधिकतम 85 अंक) + अनुभव के अंक (अधिकतम 15 अंक) के योग के आधार पर) तथा मेरिट सूची संवर्गवार** जारी की जावेगी।

22. ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनों में आवेदक द्वारा प्रविष्ट किए गए जानकारी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती हैं तो बिना किसी सूचना के अहर्ता समाप्त कर दी जावेगी एवं संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

23. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अहर्ता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रकिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, जिसकी सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

24. आवेदक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन भरते समय समस्त जानकारी स्वयं जांच कर ले एवं आन–लाईन भरे गए आवेदन का प्रिंट आऊट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर आन–लाईन अनिवार्य रूप से अपलोड़ किया जाना होंगा।

25. आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में चाही गयी जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे एवं चाहे गए **आवश्यक दस्तावेजों (अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति) को अनिवार्य रूप से संलग्न कर अपलोड करे,** आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

26. आवेदक अपना आवेदन करने के पूर्व विज्ञापनों में दिए गए नियम एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन भरे, भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र की सुची, मेरिट सुची एवं भर्ती के संबंध में अन्य समस्त जानकारी केवल **विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से** दी जावेगी।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner